


श्री..... बनाम श्री.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
२१.५.२५	<p>पिता की पत्नी द्वारा पत्नी पति व पत्नी की उम. १९ फरवरी में १९५२. दहीरगढ़ के प्रां के लिए अनुसार प्रकरण में पत्नी आवाजिपाल में पति व पत्नी की आपसी सहमती से एकठाग करके अपने- अपने अपने अलग-अलग घर लिये हैं। अतः अमावसी पत्नी के जाने के बाद पत्नी के अलग अलग हो जाने से प्रामुख्यक तैयार करने कि आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण में आपसी सहमती से अलग अलग हो जाने से विभाजन किचे जाने का कोई मौखिक प्रतीक नहीं है। अतः प्रकरण की वजह पर दूध किचे जाने कि आवाज पत्नी कि जाती है। पत्नी की संख्या अमा के लिए पत्नी के लिए है।</p> <p style="text-align: right;">  अधिकारी दहीरगढ़ (जज.) </p>